न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास श्री लहरी कुमार जैन (आर .ए.एस)

मिसल नंबर 9/15 निर्णय दिनांक 11.02.2017

बउनवान

1. जगदीश प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति बेरागी निवासी ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास
2. पवनकुमार पुत्र रामस्वरूप जाति बेरागी निवासी बालूहेडा तहसील कनवास
3. हनुमान पुत्र रामस्वरूप जाति बेरागी निवासी बालूहेडा तहसील कनवास
4. सविता पुत्रि रामस्वरूप जाति बेरागी निवासी बालूहेडा तहसील कनवास
5. नन्दकंवर बेवा रामस्वरूप जर्ये मुख्तार आम जगदीश प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनरायण जाति बेरागी निवासी बालूहेडा तहसील कनवास जिला कोटा (राज0) –वादीगण

बनाम

1. गणेशलाल पुत्र रामकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बाछीहेडा तहसील कनवास जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा – प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पेश कर निवेदन किया गया कि आराजी माल ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास जिला कोटा (राज0) में प्रतिवादी नंबर 01 के खातेदारी की आराजी खाता संख्या 155 की खसरा नंबर 71 की रकबा 0.49 है0, आराजी स्थित है। जिसमें वादीगण उपकृषक के रूप में दर्ज रिकार्ड किया हुआ है।

यह कि उक्त आराजी को वादीगण के पिता स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण जी द्वारा प्रतिवादी नं0 01 से दिनांक 14.02.1962 को जर्ये रजिस्टर्ड बेनामा से खरीद किया हुआ है। वक्त खरीद उक्त आराजी के खसरा नंबर 138 थे, प्रतिवादी द्वारा वादीगण के पिता लक्ष्मीनारायण जी को साबिक खसरा नंबर 138 की 107 बीघा 17 बिस्वा आराजी में से 03 बीघा आराजी पश्चिम उत्तर की रु0 300/– में विक्रय की गई थी। जिसके हाल खसरा नंबर 71 रकबा 0.49 हैक्टर हैं, जिस पर वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से ही बहेसियत उपकृषक दर्ज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण के पिता लक्ष्मीनारायण के फौत हो जाने पर उक्त आराजी पर उत्तराधिकारी के बतौर वादीगण दर्ज रिकार्ड चले आ रहे हैं, तथा कब्जे काश्त चले आ रहे है। वादी नंबर 01 जगदीशप्रसाद जो कि वादीगण 02 लगायत 05 का मुख्तार आम धारक है, वादीगण 02 लगायत 05 को अपने कार्यों मेंव्यस्त होने के कारण उक्त मुकदमें में उपस्थित आने में असुविधा होने के कारण वादी नंबर 01 को इस मुकदमें में अपनी तरफ से खडा होने वकील नियुक्त करने शपथ पूर्वक बयान देने व इस मुकदमें में पैरवी कराने का अधिकार दिया हुआ है।

उपरोक्त वर्णित आराजी पर वादीगण से पूर्व उनके पिता लक्ष्मीनारायण जी तथा उनके बाद वादीगण उपकृषक के रूप में दर्ज होकरकाश्त करते चले आ रहे हैं।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

वादीगण निरंतर उपकृषक के रूप में काश्त करते आने के कारण स्वतः ही खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं किन्तु राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण उक्त आराजी पर वादीगण को खातेदार दर्ज नंही किया गया है, जबकि वादीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों को कई मर्तबा अपने दस्तावेजात दिखाने पर भी खातेदार दर्ज नंही किया गया है, ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा का वाद पेश करना आवश्यक हो गया है ताकि माननीय न्यायालय से घोषणा की डिक्री पारित करवा कर स्वंय को खातेदार घोषित करवायें।

यह कि उक्त आराजी रिज्यूम माफी की आराजी है जिसे खातेदार गणेशराम द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 14.02.1962 को रु0 300/— में वादीगण के पिता को विक्रय की है, तथा जागीर के उन्मूलन के समय ही सभी माफीयों को रिज्यूम कर दिया गया था, इस कारण उक्त आराजी पर वादीगण ही एक मात्र खातेदार कृषक की हेसियत से अपना नाम खाते में दर्ज कराने के अधिकारी है।

अतः वाद खातेदारी घोषणा हेतु पेश कर निवेदन है कि वादीगण को माल ग्राम बालूहेडा पटवार हल्का बालूहेडा की खसरा नंबर 71 की रकबा 0.49 है0, आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किये जाने की डिक्री सादिर पारित फरमावें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार प्रतिवादी कम 1 गणेशराम की मृत्यु होना बताया तथा वारिसान का भी ग्राम में न रहना बताया, अन्यत्र कहीं चले जाना बताया। पत्रावली में प्रतिवादी क्रम 02 ने जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी क्रम 01 की मृत्यु होने जाने से वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 01 का नाम डिलिट करवाने हेतु एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.01.2017 को पेश किया गया, जो बाद सुनवाई दिनांक 25.01.2017 को स्वीकार किया गया।

पत्रावली आज लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रस्तुत जवाब प्रतिवादी कम 2 राजस्थान सरकार का अवलोकन किया, उनके द्वारा अपने जवाब में भूमि माफी पुण्यार्थ की होना बताया व रिज्यूम शब्द को हटाने व प्रतिवादी कम 1 का नाम हटाकर वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने को वादी स्वयं सिद्ध करे अंकित किया है। पत्रावली में उपलब्ध रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 14.02.1962 अनुसार विवादग्रस्त आराजी ग्राम बालूहेडा पटवार मंडल बालूहेडा की साबिक ख0नं0 138 की 107 बीघा 17 बिस्वा आराजी में से 03 बीघा आराजी पश्चिम उत्तर की जिसके हाल ख0नं0 71 रकबा 0.49 हैक्टर बने हैं को कय किया जाना स्पष्ट रुप से प्रमाणित है साथ ही वादी तथा वादी के पूर्वज उपकृषक के रुप में गत सेटलमेन्ट के पूर्व से ही दर्ज हैं, जिन्हे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। अपने कथन की पुष्टि में नकल खतौनी बंदोवस्त संवत 2013–32 प्रस्तुत की गई है, जिसके अवलोकन से वादी के कथन की पुष्टि होती है। इस जमाबन्दी में माफी उदक के रुप में खाता दर्ज है, जिससे भी यह प्रमाणित है कि विवादग्रस्त भूमि माफी पुण्यार्थ की है। वकील वादी द्वारा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में किये गये वाद सं0 164/2011 निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

दिनांक 12.12.2011 बउनवान बद्रीलाल बनाम गणेशलाल व राजस्थान सरकार तथा वाद सं0 118/2007 निर्णय दिनांक 07.07.2011 बउनवान मोहन लाल बनाम राजस्थान सरकार की प्रति भी पेश की गई, जिसके अवलोकन करने पर भी यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी गणेश लाल ने इस वाद में वर्णित साबिक ख0नं0 138 की भूमि का बेचान किये जाने पर भूमि वादीगण के खाते दर्ज किये जाने के आदेश इस न्यायालय द्वारा दिये गये हैं। हमने वकील वादी व प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये पेरोकार सरकार की बहस सुनी । वकील वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार कयशुदा आराजी को अपने खातें दर्ज करने व रिज्यूम शब्द हटाने हेतु निवेदन करते हुए वाद पत्र से चाहा गया अनुतोष दिये जाने की प्रार्थना की। पैरोकार सरकार ने भी भूमि रिज्यूम पूण्यार्थ की होना बताया। इस प्रकार वाद पत्र, प्रस्तुत जवाब पेरोकार सरकार व प्रस्तुत दस्तावेजों व वकील वादी तथा पेरोकार सरकार की बहस सुनने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वादीगण को माल ग्राम बालूहेडा पटवार हल्का बालूहेडा की खसरा नंबर 71 की रकबा 0.49 है0, आराजी पर से रिज्यूम शब्द को हटाया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वाद वादी स्वीकार कर वादीगण को माल ग्राम बालूहेडा पटवार हल्का बालूहेडा की आराजी खसरा नंबर 71 की रकबा 0.49 हैक्टर पर अंकित रिज्यूम शब्द हटाया जाकर खातेदार कृषक घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनाक 11.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लहरी कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज0)

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय बइजलास लहरी कुमार जैन R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.)

1. जगदीश प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति बेरागी निवासी ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास।
2. पवनकुमार पुत्र रामस्वरूप जाति बेरागी निवासी बालूहेडा तहसील कनवास।
3. हनुमान पुत्र रामस्वरूप जाति बेरागी निवासी बालूहेडा तहसील कनवास।
4. सविता पुत्रि रामस्वरूप जाति बेरागी निवासी बालूहेडा तहसील कनवास।
5. नन्दकंवर बेवा रामस्वरूप जर्ये मुख्तार आम जगदीश प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनरायण जाति बेरागी निवासी बालूहेडा तहसील कनवास जिला कोटा (राज0)।

(वादीगण)

बनाम

1. गणेशलाल पुत्र रामकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बाछीहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट

प्रतिवादी

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 09/15 सन 2015 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी की ओर से एडवाकेट श्री रेवतीरमण नागर मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वादीगण (जगदीश प्रसाद, पवनकुमार, हनुमान, सविता, नन्दकंवर) को माल ग्राम बालूहेडा पटवार हल्का बालूहेडा की आराजी खसरा नंबर 71 की रकबा 0.49 हैक्टर पर अंकित रिज्यूम शब्द हटाया जाकर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा गणेशलाल का नाम उक्त खाते से डिलीट किया जावे। तदानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... माह .... को जारी की गई।

मोहर ....

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज.)

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा ...			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिंक ...		
मुतफरिंक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राजठ)

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा